न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 127/2022

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

1. श्योनारायण उर्फ शिवनारायण पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी लाधुवाला 24 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. मनोज सहारण पुत्र श्योनारायण उर्फ शिवनारायण जाति जाट निवासी लाधुवाला 24 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. राजीव सहारण पुत्र श्योनारायण उर्फ शिवनारायण जाति जाट निवासी लाधुवाला 24 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—— वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

—प्रतिवादी

उपस्थित– अधिवक्ता श्री रामनिवास बिश्नोई (वादीगण)
पैरोकार राज (प्रतिवादी)

—:: निर्णय ::—

दिनांक 29.10.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादी स० 1 के नाम (श्योनारायण पुत्र उमा) से चक 24 एलएनपी पटवार हल्का लाधूवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता स० 60/47 के मु0न0 37,38,39 की 8.5180 दर्ज है इसी चक के खाता स० 39/47 के मु0न0 38 में 1.1921 हेक्टर भूमि वादी स० 2 के नाम (मनोज सहारण पुत्र श्योनारायण) से दर्ज है इसी चक के खाता स० 47/47 के मु0न0 38 में 1.1920 हेक्टर भूमि वादी स० 3 के नाम (राजीव सहारण पुत्र श्योनारायण) से दर्ज है वादी स0 2 व 3 का उक्त भूमि अपने पिता वादी स० 1 से प्राप्त हुई थी, जमाबंदी में वादी स० 1 का नाम व वादी स० 2 व 3 के पिता का नाम श्योनारायण पुत्र उमा जाति जाट दर्ज है जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न वादपत्र है। वादी स० 2 के आधार कार्ड व अन्य दस्तोवजो में में पिता का नाम शिवनारायण दर्ज है वादी स० 3 के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड में पिता का नाम शिवनारायण दर्ज है इस प्रकार कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज नाम व आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजो में दर्ज नाम से मिलान नही होता है जिसके कारण वादीगण को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अडचने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारो को समय समय पर मिलने वाली खाद, मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी वादीगण बंचित हो रहे है। श्योनारायण व शिवनारायण दो अलग अलग व्यक्ति नही है बल्कि एक ही व्यक्ति (वादी स० 1) के दो नाम है चूंकि वादी स० 2 व 3 के अन्य दस्ताबेजो में पिता का नाम शिवनारायण दर्ज है परन्तु जमाबंदी में श्योनारायण दर्ज होने से वादीगण को काफी परेशानी हो रही है इसलिए वादीगण जमाबंदी में नाम वादी स० 1 का नाम व वादी स० 2 व 3 के पिता का नाम संशोधित कर श्योनारायण उर्फ शिवनारायण दर्ज करवाना चाहते है वादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैंड से आये हैं इसलिए वादीगण उक्त संशोधन दर्ज करवाने की अधिकारी है। वादीगण की ग्राम पंचायत लाधूवाला के सरपंच ने भी अपने लैटरपैड पर प्रमाणित किया है कि श्योनारायण उर्फ शिवनारायण पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी 24 एलएनपी लाधुवाला दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है इस प्रकार प्रार्थी स० 1 को दोनों नामो से जाना जाता है लैटरपैड संलग्न वादपत्र है। गांव में वादी स० 1 को दोनो नाम से श्योनारायण उर्फ शिवनारायण से जाना

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

जाता है इसलिए जमाबंदीयो में श्योनारायण नाम दर्ज हो गया है दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है चूंकि वादी स० 1 वादी स0 2 व 3 का पिता है इसलिए जमाबंदीयो में संशोधित किया जाकर नाम संशोधित किया जाना आवश्यक है । वादीगण ने दिनांक 1.7.2022 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि वादी स० 1 का नाम व वादी स० 2 व 3 के पिता क नाम जमाबंदी में संशोधित कर श्योनारायण उर्फ शिवनारायण दर्ज किया जावे तो प्रतिवादी ने कहा कि इसके लिए आपको श्रीमान के समक्ष दावा प्रस्तुत करना होगा, यही वाद कारण है। भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा अन्दर अवधि उचित कोर्ट फीस पर द्वितिय प्रति के साथ पेश किया जा रहा है। वादीगण निम्नलिखित रिलिफ चाहते है:–

क. चक 24 एलएनपी पटवार हल्का लाधूवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता स० 60/47 के मु0न0 37,38,39 की 8.5180 दर्ज भूमि में वादी स० 1 का नाम जमाबंदी मे श्योनारायण दर्ज है की प्रविष्टि को संशोधित कर उसके स्थान पर वादी स० 1 का नाम 'श्योनारायण उर्फ शिवनारायण' दर्ज किया जावे व इसी चक के खाता स० 39/47 के मु0न0 38 में 1.1921 हेक्टर भूमि वादी स० 2 के नाम जमाबंदी में मनोज सहारण पुत्र श्योनारायण दर्ज है की प्रविष्टि को संशोधित कर उसके स्थान पर 'मनोज सहारण पुत्र श्योनारायण उर्फ शिवनारायण दर्ज किया जावे व इसी चक के खाता सं0 47/47 के मु0न0 38 में 1.1920 हेक्टर भूमि वादी स० 3 के नाम जमाबंदी में राजीव सहारण पुत्र श्योनारायण दर्ज है की प्रविष्टि को संशोधित कर उसके स्थान पर राजीव सहारण पुत्र श्योनारायण उर्फ शिवनारायण दर्ज किया जावे।

ख. वाद खर्चा दिलाया जावे।

ग. अन्य कोई रिलिफ जो वादीगण के हित में हो वह भी दिलाया जावे।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित तथ्य अनुसार पटवारी हलका से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट अनुसार पटवारी हलका मुताबिक पूछताछ श्योनारायचण को अन्य नाम शिवनारायण केनाम से भी पुकारा जाता है तथा श्योनारायण व शिवनारायण एक ही व्यक्ति के नाम है। श्योनारायण के दो पुत्र राजीव सहारण तथा मनोज सहारण होना बताया गया। दोनों पुत्रों राजीव सहारण व मनोज सहारण के आधार कार्ड में पिता का नाम शिवनारायण दर्ज हे। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में श्योनारायण के स्थान पर श्योनारायण उर्फ शिवनारायण करवाना चाहता है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2072–2075, ग्राम 24 एलएनपी, पटवार हल्का लाधूवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ खाता संख्या 60/47, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075, ग्राम 24 एलएनपी, पटवार हल्का लाधूवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ खाता संख्या 47/47, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075, ग्राम 24 एलएनपी, पटवार हल्का लाधूवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ खाता संख्या 39/47 की प्रतियां पेश की। वादीगण द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत लाधूवाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति, श्योनारायण पुत्र उमा राम के आधार कार्ड की प्रति, राजीव सहारण पुत्र िवनारायण के परिवार राशन कार्ड की प्रति, राजीव पुत्र शिवनारायण के वोटर कार्ड की प्रति, राजीव सहारण के आधार कार्ड की प्रति, मनोज सहारण पुत्र शिव नारायण के आधार कार्ड की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवम् तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया गया।

–::आदेश ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर जमाबंदी चक 24 एलएनपी पटवार हल्का लाधूवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता स० 60/47 के मु0न0 37,38,39 की 8.5180 दर्ज भूमि में वादी स० 1 का नाम जमाबंदी में श्योनारायण दर्ज है की प्रविष्टि को संशोधित कर उसके स्थान पर वादी स० 1 का नाम 'श्योनारायण उर्फ शिवनारायण' किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं इसी चक के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

खाता स० 39/47 के मु0न0 38 में 1.1921 हेक्टर भूमि वादी स० 2 के नाम जमाबंदी में मनोज सहारण पुत्र श्योनारायण दर्ज प्रविष्टि को संशोधित कर उसके स्थान पर 'मनोज सहारण पुत्र श्योनारायण उर्फ शिवनारायण दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं इसी चक के खाता सं0 47/47 के मु0न0 38 में 1.1920 हेक्टर भूमि वादी स० 3 के नाम जमाबंदी में राजीव सहारण पुत्र श्योनारायण दर्ज प्रविष्टि को संशोधित कर उसके स्थान पर राजीव सहारण पुत्र श्योनारायण उर्फ शिवनारायण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29.10.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner